**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर**
**बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 35/2022/दावा 136 एलआरएक्ट

सुरेश कुमार उर्फ सुरा पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण जाति यादव (अहीर) निवासी मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– प्रार्थी

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

**आवेदन अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act. बाबत**
**राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती**

उपस्थिति–

**1. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील वादी की ओर सें।**

**नि र्ण य** **दिनांक– 21.06.2022**

1 आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियॉ ख.नं. 238 ता 240, 272 ता 274, 299 ता 312 कुल किता 20 कुल रकबा 14.5800 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्ढा पटवार हल्का मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर तथा ख.नं. 1348 रकबा 0.54 है0 कुल किता 1 ग्राम मण्ढा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है, उक्त कृषि भूमियों में वादी का हक, हिस्सा 2573/18225 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है जो कि राजस्व रिकार्ड में सहवन से सूरा पुत्र शिवनारायण के नाम से दर्ज है। वादी का सही व वास्तविक नाम सुरेश कुमार है एवं उसके पिता का नाम श्योनारायण है जबकि उक्त भूमियों की खातेदारी में गलत रूप से सुरा पुत्र शिवनारायण दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमियों में अपने हक, हिस्से पर काबिज, काश्त है। वादी के बैंक रिकार्ड, आयकर कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड एवं अन्य रिकार्ड में वादी का सही नाम "सुरेश कुमार पुत्र श्योनारायण" ही दर्ज है जो सही है। परन्तु उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में आवेदक का नाम गलत रूप से सुरा पुत्र शिवनारायण दर्ज है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व वादी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से इन भूमियों के सम्बध में वादी को अब कोई न कोई राजकीय सहायता, अनुदान प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है वह भूमियों का विकास भी नहीं करवा पा रहा है। इसलिए वादी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

आवेदन पेश कर रिकार्ड की दुरूस्ती करवाया जाना आवश्यक हुआ है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत मण्ढा–मदनी द्वारा भी अपने कार्यालय से पहचान–पत्र दिनांक 25.04.2022 को जारी कर यह तस्दीक किया जा चुका है कि उक्त सुरेश कुमार एवं सुरा एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाये जाने हेतु यह आवेदन पेश किया जाना लाजमी हुआ है। वादी को इस राजस्व रिकार्ड की त्रुटी की जानकारी होने के बाद वादी कई बार–बार प्रतिवादी एवं अन्य सम्बधित अधिकारियों व कर्मचारियों से अपने नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड वादी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी के नाम को दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 238 ता 240, 272 ता 274, 299 ता 312 कुल किता 20 कुल रकबा 14.5800 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम मण्ढा पटवार हल्का मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरा पुत्र शिवनारायण के स्थान पर प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार उर्फ सुरा पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का नाम सुरा पुत्र शिवनारायण के स्थान पर प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार उर्फ सुरा पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि राजस्व ग्राम मण्ढा के ख.नं. 238 से 240, 272 से 274, 299 से 312 कुल किता 20 रकबा 14.58 हैक्टेयर व ख.नं. 1348 रकबा 0.54 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार सुराराम पुत्र शिवनारायण के रिकार्ड की जांच की गई जिसमें पाया

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

गया कि ख.नं. 238 से 240, 272 से 274, 299 से 312 कुल किता 20 रकबा 14.58 हैक्टेयर में शिवनारायण की विरासत से सुराराम नाम दर्ज हुआ है तथा ख.नं. 1348 रकबा 0.54 हैक्टेयर सुराराम द्वारा क्रय किया गया है जो विक्रय पत्र में भी सुराराम दर्ज है पूछताछ पर वादी ने बताया कि बचपन मै मेरे को सुरा नाम से पुकारा जाता था तथा मेरे दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, वोटर आईडी में सुरेश कुमार दर्ज है तथा वादी ने ग्राम पंचायत मण्ढा द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी पेश किया है जिसमें सुराराम व सुरेश कुमार एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये है अतः श्रीमानजी पडोसियो को पूछताछ व पेश किये गये दस्तावेज व ग्राम पंचायत मण्ढा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सुराराम पुत्र शिवनारायण के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र श्योनारायण अंकन दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 238 ता 240, 272 ता 274, 299 ता 312 कुल किता 20 कुल रकबा 14.5800 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 1348 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम मण्ढा पटवार हल्का मण्ढा–मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम सुरा पुत्र शिवनारायण के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुरेश कुमार उर्फ सुरा पुत्र श्योनारायण उर्फ शिवनारायण दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.06..2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ